Test - 2

यूपीपीसीएस मेन्स (2024)

सामान्य अध्ययन: पेपर- II

Model Answers

(खण्ड – A)

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के मूल ढांचे को विकसित करने और सुरक्षित रखने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का विश्लेषण करें।

उत्तर- मूल संरचना सिद्धांत, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया, भारतीय संविधान की अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक और विधायी परिवर्तनों के बावजूद संविधान के मूल सिद्धांत सुरक्षित रहें।
प्रमुख मामले:

- **गोलकनाथ मामला (1967):** न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट किया, विशेष रूप से उन संशोधनों की समीक्षा में जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।
- **केशवानंद भारती मामला (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत प्रस्तुत किया; संसद को संशोधन की अनुमति दी गई, लेकिन लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा जैसे मूल तत्वों में बदलाव से रोका गया।
- **इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया गया।
- **मिनर्वा मिल्स मामला (1980):** मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को सुदृढ़ किया गया।
- **एनजेएसी मामला (2015):** राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द किया गया क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता मूल संरचना का हिस्सा है।
- **गोपनीयता का अधिकार मामला (2017):** गोपनीयता को एक मौलिक अधिकार घोषित कर मूल संरचना सिद्धांत के विकसित स्वरूप को दर्शाया गया।

- **अयोध्या निर्णय (2019):** अदालत ने पुष्टि की कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है, भले ही मामला संवेदनशील हो।

निष्कर्ष:

1973 से सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार मूल संरचना सिद्धांत को विकसित और संरक्षित किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान समकालीन आवश्यकताओं के अनुसार ढल सके, लेकिन इसके मूल मूल्य अडिग रहें। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा में न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं?

उत्तर- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को छह मूलभूत स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये स्वतंत्रताएँ कुछ परिस्थितियों में युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन होती हैं।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले अधिकार इस प्रकार हैं:

1. **विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(a))**
   - व्यक्ति को अपने विचार मौखिक, लिखित या दृश्य माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है।
   - **प्रतिबंध:** भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों से संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में लगाए जा सकते हैं।
2. **शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(b))**
   - नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार है।
   - **प्रतिबंध:** सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा भारत की संप्रभुता और अखंडता के आधार पर लगाए जा सकते हैं।
3. **संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(c))**
   - नागरिकों को संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है।
   - **प्रतिबंध:** राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में।
4. **भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(d))**
   - देश के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्राप्त है।
   - **प्रतिबंध:** राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर।
5. **कहीं भी निवास करने और बसने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(e))**
   - देश के किसी भी हिस्से में निवास और बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

- **प्रतिबंध:** जनजातीय क्षेत्रों, विशेष संरक्षित क्षेत्रों या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर।

6. **पेशा, व्यापार, व्यवसाय और उद्योग करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(g))**
   - नागरिकों को किसी भी वैध पेशे, व्यापार या व्यवसाय को चुनने और करने का अधिकार है।
   - **प्रतिबंध:** राज्य सार्वजनिक हित, पेशेवर योग्यताएँ या व्यापार के नियमन हेतु सीमाएँ तय कर सकता है।

अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति और गतिविधियों की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ताकि देश की सुरक्षा, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे।

प्रश्न 3. भारत की उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के गुण और दोष बताइए।

उत्तर- भारत में न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत, मुख्य न्यायाधीश सहित वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों की सिफारिश करता है।

लाभ (Merits):

1. **न्यायिक स्वतंत्रता:** कॉलेजियम यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रहे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) मामले में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई।
2. **विशेषज्ञता:** न्यायाधीशों का चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर होता है, जिससे योग्य और कुशल व्यक्ति नियुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति के.के. मैथ्यू को उनके गहन विधिक ज्ञान के आधार पर नियुक्त किया गया था।
3. **राजनीतिक निष्पक्षता:** इस प्रणाली में राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। एनजेएसी मामला (2015) इसका उदाहरण है, जब सरकार की हस्तक्षेप की कोशिश को अस्वीकार कर दिया गया।

हानियां (Demerits):

1. **जवाबदेही की कमी:** कॉलेजियम प्रणाली में कोई बाहरी निगरानी नहीं है, जिससे इसकी जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। न्यायमूर्ति दिनाकरन विवाद इस चिंता को उजागर करता है।

2. **पारदर्शिता की कमी:** चयन प्रक्रिया अक्सर अपारदर्शी होती है। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की नियुक्ति में हुई देरी ने इस पर प्रश्न उठाए।
3. **नियुक्तियों में विलंब:** कॉलेजियम और सरकार के बीच मतभेदों के कारण नियुक्तियों में देरी होती है, जिससे न्यायिक कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। 2017 में नियुक्तियों में हुई देरी इसका उदाहरण है।

जहाँ कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, वहीं यह जवाबदेही, पारदर्शिता और नियुक्तियों में विलंब जैसी चुनौतियों से भी ग्रस्त है।

प्रश्न 4. भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज में बार-बार होने वाले व्यवधानों के पीछे विभिन्न कारणों की व्याख्या करें।

उत्तर- भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में बार-बार होने वाले व्यवधान *विधायी प्रक्रिया* को बाधित करते हैं और *नीतिगत निर्णयों में विलंब* का कारण बनते हैं। ये व्यवधान सुचारु शासन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गए हैं।

1. राजनीतिक ध्रुवीकरण और विपक्ष की रणनीति:

- **वैचारिक मतभेद:** सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक अंतर अक्सर टकराव का कारण बनते हैं।
  उदाहरण: *कृषि कानूनों (2020–2021)* के विरोध में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने संसद सत्रों में बाधा डाली।
- **विपक्ष की रणनीति:** कई बार विपक्ष मुद्दों को प्रमुखता देने और जन-आकर्षण के लिए व्यवधान को एक रणनीति के रूप में अपनाता है।
  उदाहरण: *राफेल सौदा (2018)* पर संसद में कई बार कार्यवाही बाधित हुई।

2. परामर्श और पारदर्शिता की कमी:

- **समावेशी निर्णय का अभाव:** कई बार विधेयकों को विपक्ष से चर्चा किए बिना प्रस्तुत कर दिया जाता है।
  उदाहरण: *GST विधेयक (2017)* में केंद्र और राज्यों के बीच सहमति की कमी के कारण विरोध हुआ।

- **विवादास्पद विधेयक:** *नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)* बिना पर्याप्त परामर्श के लाया गया, जिससे संसद में विशेषकर विपक्ष द्वारा भारी विरोध हुआ।

3. प्रक्रिया संबंधी समस्याएँ:

- **अध्यादेशों का प्रयोग:** सरकार द्वारा बिना संसद में पर्याप्त बहस के अध्यादेश लाने से व्यवधान उत्पन्न होते हैं।
  उदाहरण: *तीन तलाक अध्यादेश (2018)* पर बहस के अभाव में असहमति उत्पन्न हुई।
- **दुर्बल विधायी प्रबंधन:** समय और प्राथमिकताओं के अनुचित प्रबंधन के कारण महत्वपूर्ण विषयों की अनदेखी होती है, जिससे विरोध होता है।

4. क्षेत्रीय और पहचान आधारित मांगें:

- **राज्य गठन और क्षेत्रीय मुद्दे:** राज्य विभाजन जैसे मुद्दों पर बहस और विरोध होते हैं।
  उदाहरण: *तेलंगाना की मांग (2014)* पर संसद में व्यापक व्यवधान हुआ।
- **पहचान आधारित आंदोलन:** *NRC (2019)* जैसे विषय, विशेष रूप से असम में, क्षेत्रीय पहचान और अधिकारों से जुड़े विवादों को जन्म देते हैं।

भारत की संसद और विधानसभाओं में होने वाले व्यवधानों के पीछे *राजनीतिक, प्रक्रियागत और क्षेत्रीय* कारण हैं। इन्हें कम करने के लिए *बेहतर समन्वय, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता,* और *विधायी अनुशासन* को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे विधायी कार्य बेहतर ढंग से संपन्न हो सके।

प्रश्न 5. दबाव समूहों की भूमिका पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। वे शासन उपायों के समर्थन के लिए एक प्रभावी उपकरण कैसे हो सकते हैं?

उत्तर- दबाव समूह (Pressure Groups) संगठित संस्थाएं होती हैं जो लोकनीति और सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। ये समूह विविध सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों को शासन में प्रतिनिधित्व दिलाते हैं।

सकारात्मक भूमिका:

1. **वकालत और प्रतिनिधित्व:** भारत किसान यूनियन (BKU) जैसे समूह यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों की आवाज़ नीति-निर्माण में सुनी जाए।
2. **नीति पर प्रभाव:** मजदूर किसान शक्ति संगठन जैसे समूहों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. **जन-जागरूकता और जनसमर्थन:** ये समूह ज्वलंत मुद्दों पर जन-जागरूकता फैलाते हैं और जनसमर्थन जुटाते हैं।
   उदाहरण: अन्ना हज़ारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन।
4. **सरकार पर नियंत्रण:** ये सरकार की नीतियों की निगरानी रखते हैं ताकि वे जनहित में बनी रहें।

चुनौतियाँ:

1. **अभिजात वर्ग का प्रभुत्व:** कुछ समूह जैसे कॉरपोरेट लॉबी केवल संपन्न वर्गों के हितों को प्राथमिकता देते हैं।
2. **नीति हड़पने का खतरा (Policy Capture):** बड़े और प्रभावशाली समूह नीतियों को अपने हितों के अनुसार मोड़ सकते हैं।
3. **उत्तरदायित्व की कमी:** कई दबाव समूहों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव होता है।
4. **विभाजन की प्रवृत्ति:** ये अकसर संकीर्ण मुद्दों पर केंद्रित रहते हैं जिससे समग्र जनहित की दिशा में एकजुट प्रयासों की कमी हो जाती है।

दबाव समूह शासन के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं, बशर्ते वे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनहित को प्राथमिकता दें। इन्हें लोकतंत्र में संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, जो शासन को अधिक उत्तरदायी और सहभागी बनाते हैं।

प्रश्न 6. शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को किस प्रकार एकीकृत किया गया है? अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सार्वजनिक प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाकर शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। एस्टोनिया जैसे देश ई-गवर्नेंस सेवाओं में AI का उपयोग कर नागरिकों को डिजिटल आईडी और ऑनलाइन मतदान जैसी सुविधाएँ दे रहे हैं।

भारत में भी, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान जैसी सेवाओं में AI का प्रयोग किया जा रहा है।

अवसर (Opportunities):

1. **सुधारित दक्षता:** AI सामान्य प्रशासनिक कार्यों जैसे डाटा प्रोसेसिंग और शिकायत निवारण को स्वचालित कर सकती है। उदाहरण: आधार-आधारित प्रणाली ने कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सरल बनाया।
2. **डेटा-आधारित नीति निर्माण:** AI पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण में सहायक होती है, जिससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे: यातायात प्रबंधन या आर्थिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण में AI का उपयोग।
3. **बेहतर जन सेवाएं:** AI आधारित चैटबॉट्स जैसे दिल्ली सरकार का MyGov प्लेटफॉर्म जनसंपर्क और फीडबैक में सहायक हैं।

चुनौतियां (Challenges):

1. **डेटा गोपनीयता की चिंता:** AI प्रणाली व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती है जिससे गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण: आधार डेटा की सुरक्षा पर उठे सवाल।
2. **पक्षपात और निष्पक्षता:** कुछ AI मॉडल पूर्वाग्रह को बढ़ा सकते हैं। जैसे: फेशियल रिकग्निशन सिस्टम कुछ जनसमूहों को गलत तरीके से पहचानते हैं।
3. **रोज़गार पर प्रभाव:** AI से स्वचालन के कारण सार्वजनिक प्रशासन में नौकरी क्षति की आशंका है, जिसके लिए पुनः कौशल प्रशिक्षण आवश्यक होगा।

AI शासन को आधुनिक और उत्तरदायी बनाने की असीम संभावनाएं रखता है, लेकिन इसके साथ नैतिकता, पारदर्शिता और समावेशिता को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रश्न 7. ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के प्रभाव का आकलन करें।

उत्तर- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भागीदारी का मंच प्रदान किया है, जिससे महिलाएं अपनी जीवन शैली सुधारने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और समुदाय में अपनी आवाज़ बुलंद करने में सक्षम हुई हैं।

सकारात्मक प्रभाव:

1. आर्थिक सशक्तिकरण:

- SHGs माइक्रोफाइनेंस की सुविधा देती हैं, जिससे महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
- **उदाहरण:**
  - पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने मुर्गीपालन और मत्स्य पालन के ज़रिए अपनी आय बढ़ाई है।
  - तमिलनाडु में महिलाएं सफलतापूर्वक डेयरी व्यवसाय चला रही हैं और जैविक खाद का उत्पादन कर रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

2. सामाजिक सशक्तिकरण:

- SHGs पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देने में महिलाओं की सहायता करते हैं।
- **उदाहरण:**
  - उत्तर प्रदेश में SHG सदस्यों ने बेहतर स्वच्छता सुविधाओं की मांग की है।
  - बिहार में SHGs ने बाल विवाह को कम करने और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।

3. स्वास्थ्य और पोषण:

- **उदाहरण:**
  - ओडिशा में SHGs स्वच्छता और मातृ देखभाल पर कार्यक्रम चलाते हैं।
  - केरल में वे ग्रामीण समुदायों में पोषण सुधारने पर ध्यान देते हैं।

चुनौतियां:

1. सीमित बाज़ार पहुंच:

- SHGs को अपने उत्पादों के लिए बड़े बाज़ार तक पहुँचने में कठिनाई होती है।
- उदाहरण: ग्रामीण बिहार की महिलाएं अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक नहीं पहुँचा पाती।

2. स्थायित्व की समस्या:

- कई SHGs को प्रशिक्षण और पेशेवर प्रबंधन की कमी के कारण लाभप्रदता बनाए रखने में कठिनाई होती है।

निष्कर्ष:

SHGs ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है, किंतु वे बाज़ार पहुंच और स्थायित्व जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि इन्हें समुचित सहायता और प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो SHGs ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण में और अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

प्रश्न 8. गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) में भारत की भूमिका का विश्लेषण करें और उभरते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता का आकलन करें।

उत्तर- 1961 में स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) शीत युद्ध के दौरान किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ गठबंधन से बचने के लिए नव स्वतंत्र राष्ट्रों की सामूहिक प्रतिक्रिया थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने NAM के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और रणनीतिक स्वायत्तता के दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका:

- भारत इसका संस्थापक सदस्य और *पंचशील* सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख विचारक था।
- इसने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और गुटीय राजनीति से आजादी चाहने वाले राष्ट्रों को नेतृत्व प्रदान किया।
- भारत ने वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को व्यक्त करने तथा विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक कूटनीतिक मंच के रूप में उपयोग किया।

समकालीन प्रासंगिकता:

- यद्यपि शीत युद्ध की राजनीति समाप्त हो चुकी है, फिर भी वैश्विक ध्रुवीकरण के नए रूपों के बीच NAM के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

- भारत बहु-संरेखण के माध्यम से गुटनिरपेक्षता को कायम रखता है - अमेरिका, रूस और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखता है।
- एनएएम को जलवायु न्याय, आर्थिक समानता, साइबर सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विकसित होना चाहिए।

NAM में भारत का नेतृत्व संप्रभु निर्णय-निर्माण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रासंगिक बने रहने के लिए, NAM को 21वीं सदी की भू-राजनीतिक चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें भारत इसकी पुनर्परिभाषा में सक्रिय भूमिका निभाए।

प्रश्न 9. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करें।

उत्तर- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिसे औपचारिक रूप से *भारत-यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)* कहा जाता है, 2007 से विचाराधीन है। भारत व्यापार साझेदारों में विविधता लाने और यूरोपीय संघ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं, जिससे यह समझौता दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है।

अवसर:

1. **बाजार पहुँच में वृद्धि:**
   - यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; 2023–24 में द्विपक्षीय व्यापार $137.5 अरब तक पहुँचा।
   - वस्त्र, औषधियाँ और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को व्यापक अवसर मिल सकते हैं।
2. **निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:**
   - यह समझौता बुनियादी ढाँचा, नवीकरणीय ऊर्जा और निर्माण क्षेत्र में यूरोपीय निवेश को आकर्षित कर सकता है, जिससे भारत में आर्थिक वृद्धि और तकनीकी विकास को बल मिलेगा।
3. **व्यापार साझेदारों का विविधीकरण:**
   - चीन और अमेरिका के बाहर व्यापार संबंधों को विविध बनाने की रणनीति के तहत यूरोपीय संघ भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है।

चुनौतियां:

1. **टैरिफ और बाजार पहुँच विवाद:**

- यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल और मादक पेयों पर टैरिफ में बड़ी कटौती चाहता है, जबकि भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करना चाहता है।

2. **नियामक और मानक असमानताएं:**
   - यूरोपीय संघ के सख्त पर्यावरण और श्रम मानकों से भारतीय निर्यातकों को अनुपालन में कठिनाइयाँ हो सकती हैं।
3. **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):**
   - यूरोपीय संघ द्वारा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मजबूत IPR की माँग भारत में सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है।
4. **सरकारी खरीद (Government Procurement):**
   - यूरोपीय संघ भारत के सरकारी खरीद बाजार तक पहुँच चाहता है, जिसे भारत अपने MSME और नीति-स्वायत्तता की रक्षा के लिए सीमित रखना चाहता है।
5. **प्रशिक्षित पेशेवरों की आवाजाही:**
   - भारत की कुशल पेशेवरों के लिए आसान वीजा नीति की माँग पर यूरोपीय संघ सतर्क है, क्योंकि वीजा नीति उसके सदस्य देशों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

निष्कर्ष:

भारत-ईयू एफटीए आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालाँकि, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए *दोनों पक्षों को लचीला रुख* अपनाना होगा और *संतुलित दृष्टिकोण* अपनाना होगा। दोनों पक्षों ने 2025 के अंत तक समझौता पूर्ण करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो साझा लाभ के लिए इन चुनौतियों को सुलझाने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

प्रश्न 10. वैश्विक दक्षिण के साथ जुड़ने में भारत के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें और चर्चा करें कि यह रणनीति एक प्रमुख वैश्विक अभिनेता के रूप में इसकी स्थिति को कैसे मजबूत करती है?

उत्तर- भारत की ग्लोबल साउथ (Global South) के साथ सहभागिता का दृष्टिकोण उसकी औपनिवेशिक विरोध, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और न्यायसंगत वैश्विक शासन की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता में निहित है। हाल के वर्षों में यह सहभागिता अधिक रणनीतिक हो गई है, जो भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की उसकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप है।

ग्लोबल साउथ के प्रति भारत का दृष्टिकोण:

1. **विकासात्मक भागीदारी:**

- ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) कार्यक्रम, लाइन ऑफ क्रेडिट और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परियोजनाओं को समर्थन दिया है।

2. **वैक्सीन और मानवीय कूटनीति:**
    - कोविड-19 महामारी के दौरान "वैक्सीन मैत्री" पहल ने भारत की विश्वसनीय भागीदार की छवि को सशक्त किया।
3. **वैश्विक मंचों पर भूमिका:**
    - भारत ने G20, BRICS और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर ऋण संकट, जलवायु न्याय और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई।
4. **ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में नेतृत्व:**
    - 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी कर भारत ने विकासशील देशों के बीच सर्वसम्मति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका निभाई।

भारत के लिए रणनीतिक लाभ:

1. **नेतृत्व की विश्वसनीयता:**
    - भारत को विकसित और विकासशील देशों के बीच एक सेतु के रूप में देखा जाता है।
2. **भूराजनीतिक प्रभाव:**
    - यह भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है और राजनयिक पूंजी अर्जित करने में मदद करता है, विशेषकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में।
3. **आर्थिक अवसर:**
    - इस जुड़ाव से नए व्यापार और निवेश के द्वार खुलते हैं।

निष्कर्ष:

ग्लोबल साउथ के साथ भारत की सक्रिय सहभागिता "वसुधैव कुटुंबकम्" की उसकी सांस्कृतिक भावना को प्रतिबिंबित करती है और साथ ही, बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में उसकी रणनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करती है। भारत की यह रणनीति उसे एक उत्तरदायी, प्रगतिशील और अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करती है।

(खण्ड – B)

प्रश्न 11. संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया भारत से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर- भारत और अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव *अप्रत्यक्ष रूप से* होता है, किंतु दोनों देशों की *संवैधानिक संरचना*, *शासन प्रणाली* और *राष्ट्रपति की भूमिका* में मूलभूत अंतर होने के कारण इनकी चुनाव प्रक्रियाएं भी भिन्न होती हैं।

आयाम	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत
शासन प्रणाली का प्रकार	राष्ट्रपति प्रणाली (Presidential System)	संसदीय प्रणाली (Parliamentary System)
राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका	राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख	केवल राष्ट्राध्यक्ष (औपचारिक/संवैधानिक प्रमुख)
चुनाव की विधि	अप्रत्यक्ष – नागरिकों द्वारा चुने गए इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से	अप्रत्यक्ष – सांसदों और विधायकों से बने इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा
इलेक्टोरल कॉलेज की संरचना	प्रत्येक राज्य और वॉशिंगटन डी.सी. से आबादी के अनुसार चयनित निर्वाचक	निर्वाचित सांसद (MPs) और विधायक (MLAs); मतों का मूल्य राज्य की जनसंख्या और विधानमंडल के आकार पर आधारित
मतदान प्रणाली	फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, वही विजेता)	आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली
राजनीतिक दलों की भूमिका	उम्मीदवार राजनीतिक दलों द्वारा नामांकित	यद्यपि नामांकन दलों से होता है, लेकिन राष्ट्रपति अपेक्षाकृत गैर-राजनीतिक माने जाते हैं।
चुनाव की आवृत्ति	हर 4 वर्ष में	हर 5 वर्ष में
कार्यकाल की सीमा	अधिकतम दो कार्यकाल (22वां संविधान संशोधन)	कोई निर्धारित सीमा नहीं, पुनर्निर्वाचन संभव
शपथ ग्रहण	अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश	भारत के मुख्य न्यायाधीश

	द्वारा	द्वारा
जनादेश की प्रकृति	प्रत्यक्ष जनादेश के माध्यम से – अधिक राजनीतिक और कार्यकारी भूमिका	परोक्ष और प्रतिनिधिक जनादेश – मुख्यतः औपचारिक पद

यद्यपि भारत और अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन यह अंतर स्पष्ट करता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति एक *कार्यकारी प्रमुख* होते हैं, इसलिए चुनाव प्रक्रिया *राजनीतिक और जनकेन्द्रित* होती है। भारत में राष्ट्रपति *संवैधानिक प्रमुख* होते हैं, जिनकी भूमिका *प्रतीकात्मक और औपचारिक* होती है, इसलिए चुनाव *संघीय प्रतिनिधित्व* और *सर्वसम्मति* पर आधारित होता है।

प्रश्न 12. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में हाल ही में हुए बदलावों की जांच करें। इन बदलावों के संबंध में क्या मुद्दे उठाए गए हैं?

उत्तर- भारत का चुनाव आयोग (ECI) लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023 में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम पारित किया, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया को बदल दिया। इन परिवर्तनों ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर उनके प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है।

प्रमुख परिवर्तन:

- **चयन समिति की संरचना में परिवर्तन:** 2023 अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य चयन समिति (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश) को बदलकर एक ऐसी समिति बना दी है जिसमें प्रधानमंत्री, एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।
- **खोज समिति की भूमिका:** एक खोज समिति जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, विचार के लिए नामों की सूची तैयार करेगी, जिससे संभावित रूप से कार्यपालिका को उम्मीदवारों के चयन में नियंत्रण मिल सकता है।
- **सेवा शर्तों में परिवर्तन:** नया अधिनियम CEC और ECs की स्थिति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समकक्ष से घटाकर कैबिनेट सचिव के समकक्ष कर देता है।

उठाए गए मुद्दे:

Chronicle ias

- **संस्थागत स्वतंत्रता का ह्रास:** CJI को बाहर किए जाने से चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष प्रकृति कमजोर होती है।
- **कार्यपालिका का वर्चस्व:** तीन में से दो चयनकर्ता कार्यपालिका से होने के कारण राजनीतिकरण की चिंताएं सामने आई हैं।
- **कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ:** कई याचिकाएं इस अधिनियम को संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देती हैं।

हालिया बदलावों ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता को लेकर चिंताओं को फिर से जन्म दिया है। भारत की लोकतांत्रिक संरचना में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है।

प्रश्न 13. जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा करें और इसकी प्रभावशीलता में सुधार के उपाय सुझाएँ।

उत्तर- जल जीवन मिशन (JJM), जिसे 2019 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTCs) प्रदान करना है। यह मिशन व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शनों के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है। यह मिशन महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आती हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियां:

- **जल स्रोत की अपर्याप्त उपलब्धता:** कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से सूखा-प्रवण और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में, सतत और बारहमासी ताजे जल स्रोतों की कमी है।
- **अविकसित अवसंरचना और रखरखाव:** मौजूदा ग्रामीण जल अवसंरचना या तो अपर्याप्त है या ठीक से अनुरक्षित नहीं है, जिससे बार-बार खराबी और रिसाव होते हैं।
- **संस्थागत क्षमता की सीमाएँ:** पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पास जल आपूर्ति प्रणालियों के कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु तकनीकी क्षमता और जनशक्ति की कमी है।
- **जल गुणवत्ता से संबंधित चिंताएं:** फ्लोराइड, आर्सेनिक, लोहे और अन्य प्रदूषकों के कारण जल प्रदूषण कई क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है।
- **वित्तपोषण और संसाधन की कमी:** यद्यपि JJM एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, लेकिन निधियों के वितरण में देरी और अन्य योजनाओं के साथ समन्वय की कमी समय पर कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।
- **सामुदायिक भागीदारी की कमी:** स्थानीय समुदायों की योजना निर्माण और निगरानी में सक्रिय भागीदारी की कमी दीर्घकालिक स्थायित्व को प्रभावित करती है।

प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

- **स्रोत की स्थिरता को मजबूत करना:** वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **स्थानीय क्षमता का निर्माण करना:** गांव स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षित करना और संचालन व रखरखाव के लिए पंचायती संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए।
- **जल गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करना:** नियमित परीक्षण तंत्र स्थापित करने और कम लागत वाली शुद्धिकरण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है।
- **सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना:** ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को स्वामित्व लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- **समय पर निधि वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** रीयल-टाइम निगरानी और निधि ट्रैकिंग हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

जल जीवन मिशन सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विकेंद्रीकृत, सहभागी और सतत दृष्टिकोणों के माध्यम से कार्यान्वयन की बाधाओं को दूर करना इसके सफल और दीर्घकालिक प्रभाव को बढ़ाएगा।

प्रश्न 14. खाद्य वितरण दक्षता में सुधार लाने में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना की भूमिका का परीक्षण करें।

उत्तर- 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' (ONORC) योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा लाभों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह लाभार्थियों को आधार-लिंक्ड राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे खाद्य वितरण अधिक समावेशी और कुशल बनता है।

खाद्य वितरण दक्षता में सुधार में ONORC की भूमिका:

- **लाभों की पोर्टेबिलिटी:** ONORC आंतरिक प्रवासियों—जो भारत की जनसंख्या का लगभग 37% हैं—को देश में कहीं भी खाद्य सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे स्थान की परवाह किए बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **बहिष्करण त्रुटियों में कमी:** यह योजना डुप्लिकेट और फर्जी राशन कार्डों को समाप्त करने में मदद करती है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनती है।

- **प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाना:** यह योजना विशेष रूप से उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाती है जो घर से दूर शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्हें खाद्य लाभ की निरंतरता सुनिश्चित करती है।
- **डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा:** इस योजना के कार्यान्वयन ने PDS में डिजिटलीकरण और आधार के उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे निगरानी और शिकायत निवारण की व्यवस्था बेहतर हुई है।
- **संसाधनों का कुशल आवंटन:** ONORC लेनदेन से प्राप्त डेटा राज्यों के बीच मांग के पैटर्न को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे बेहतर योजना और खाद्यान्न आवंटन संभव होता है।

चुनौतियां और आगे की राह:

- **दूरस्थ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी की समस्याएँ** वास्तविक समय प्रमाणीकरण में बाधा डालती हैं।
- **राज्य स्तरीय प्रतिरोध** क्योंकि राज्यों को बोझ साझा करने और PDS पर नियंत्रण खोने का डर रहता है।
- **प्रवासी लाभार्थियों में जागरूकता की आवश्यकता** ताकि वे योजना का पूर्ण लाभ उठा सकें।

ONORC भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पोर्टेबिलिटी, पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ाकर वितरण दक्षता में उल्लेखनीय सुधार लाती है। इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

प्रश्न 15. भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का परीक्षण करें। उनके प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

उत्तर- भारत की स्वास्थ्य प्रणाली अब भी पहुंच, वहनक्षमता और अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में। इस परिप्रेक्ष्य में, **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)** एक प्रभावी उपाय के रूप में उभरी है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता और नवाचार का लाभ उठाती है।

भारत में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने में PPP की भूमिका:

1. **अवसंरचना विकास:** PPP के माध्यम से **अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और मोबाइल हेल्थ यूनिटों** का विकास संभव हुआ है, जैसे कि आयुष्मान भारत और राज्य स्तरीय योजनाएं (उदाहरण – आंध्र प्रदेश की 'राजीव आरोग्यश्री' योजना)।
2. **सेवा वितरण में सुधार:** निजी क्षेत्र द्वारा **टेलीमेडिसिन, डायग्नोस्टिक सेवाएं, एंबुलेंस सेवाएं (जैसे 108 EMRI), और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं** प्रभावी ढंग से प्रदान की जाती हैं।

3. **क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** PPP के माध्यम से उन्नत **चिकित्सा तकनीकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रबंधकीय विशेषज्ञता** आती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता में वृद्धि होती है।
4. **लागत दक्षता और जोखिम साझेदारी:** संयुक्त निवेश और जोखिम साझेदारी के माध्यम से PPP सार्वजनिक वित्त पर बोझ कम करता **है** और सेवाएं अधिक लागत-प्रभावी बनती हैं।

प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष आने वाली चुनौतियां:

1. **स्पष्ट नीति ढांचे की कमी:** राज्यों में PPP के लिए **मानकीकृत मॉडल की अनुपस्थिति** के कारण अस्पष्टता और असंगत परिणाम सामने आते हैं।
2. **विश्वास की कमी और उद्देश्य असंतुलन: लाभ-केंद्रित निजी क्षेत्र** और **समानता-केंद्रित सार्वजनिक संस्थानों** के बीच उद्देश्यों में टकराव होता है।
3. **कमजोर निगरानी और उत्तरदायित्व तंत्र:** प्रभावी निगरानी की कमी से **सेवा गुणवत्ता में गिरावट** और **लागत में वृद्धि** होती है।
4. **दूरस्थ क्षेत्रों में निजी भागीदारी की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में **मुनाफे की कम संभावना** के कारण निजी निवेशकों की भागीदारी सीमित रहती है।

निष्कर्ष:

PPP मॉडल भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने की **महत्वपूर्ण क्षमता** रखता है। लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि **मजबूत नीति ढांचा**, **पारदर्शी अनुबंध**, **प्रभावी नियमन**, और **ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहन** प्रदान किए जाएं।

प्रश्न 16 गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओं के बावजूद भारत व्यापक भुखमरी और कुपोषण से जूझ रहा है। कारणों का विश्लेषण करें और सुधार के उपाय सुझाएँ।

उत्तर- भारत ने **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS), मध्याह्न भोजन योजना (MDMS)** और **पोषण अभियान** जैसी कई प्रमुख योजनाएँ शुरू की हैं ताकि गरीबी और कुपोषण को दूर किया जा सके।

फिर भी, **Global Hunger Index 2024** के अनुसार भारत **127 देशों में 105वें स्थान** पर है, जो इस दिशा में **गंभीर कमियों** की ओर इशारा करता है।

लगातार भूख और कुपोषण बने रहने के कारण:

1. **केवल कैलोरी-आधारित योजनाएं:** PDS में मुख्य रूप से चावल और गेहूं वितरित किए जाते हैं, जिससे आहार में विविधता की कमी होती है। उदाहरण के तौर पर, **दालें व मोटे अनाज** पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे **प्रोटीन की कमी** बनी रहती है।
2. **क्रियान्वयन में खामियां:** बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में **आंगनवाड़ी केंद्रों** में अक्सर पर्याप्त भोजन, कर्मचारी या ढांचा नहीं होता। इससे ICDS की प्रभावशीलता पर नकारात्मक असर पड़ता है।
3. **मातृ और शिशु स्वास्थ्य की उपेक्षा:** NFHS-5 के अनुसार, **5 वर्ष से कम उम्र के 35% से अधिक बच्चे ठिगने (stunted)** हैं, जो **गर्भवती महिलाओं की खराब पोषण स्थिति और किशोरावस्था में गर्भधारण** से जुड़ा है। यह विशेष रूप से **आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों** में अधिक देखा जाता है।
4. **स्वच्छता से जुड़ा कुपोषण:** उड़ीसा में **स्वच्छ भारत मिशन** से शौचालय कवरेज बढ़ा और दस्त जैसे रोगों में गिरावट आई। लेकिन अन्य कई राज्य अभी भी पीछे हैं, जिससे **पोषक तत्वों का अवशोषण** प्रभावित होता है।
5. **जानकारी की कमी:** मध्य प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि कई परिवारों को **पोषण अभियान के तहत मिलने वाले अधिकारों** की जानकारी नहीं थी। इससे योजनाओं का **कम उपयोग** होता है।

सुधार के उपाय:

- **PDS में विविधता लाना:** दालें, **मोटे अनाज (जैसे बाजरा)** और **फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों** को शामिल किया जाए। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु की **अम्मा उनवगम योजना**।
- **लास्ट-माइल डिलीवरी को मजबूत करना: ई-POS मशीनों** का उपयोग और **सोशल ऑडिट** के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाए।
- **पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच तालमेल (Convergence):** विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए संयुक्त पहलें शुरू हों।
- **जागरूकता अभियानों की शुरुआत:** आकांक्षी जिलों में लक्षित **पोषण शिक्षा** और **सामुदायिक भागीदारी** को बढ़ावा मिले।

भारत में भूख को दूर करने के लिए अब केवल **खाद्य सुरक्षा नहीं**, बल्कि **पोषण सुरक्षा** पर ज़ोर देना जरूरी है। इसके लिए **समावेशी, उत्तरदायी और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों** की आवश्यकता है।

प्रश्न 17 ई-गवर्नेंस पहलों में कार्यकुशलता बढ़ाने और भ्रष्टाचार कम करने की क्षमता है। उदाहरणों के साथ भारत में उनके कार्यान्वयन की आलोचनात्मक जांच करें।

उत्तर- ई-गवर्नेंस का अर्थ है सरकार की सेवाओं को प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी तरीके से प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग। भारत में, **डिजिटल इंडिया मिशन** के तहत, जैसे **आधार**,

UMANG, **e-NAM**, **Digi Locker**, और **MyGov** जैसी पहलें सेवा वितरण में सुधार और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई हैं।

ई-गवर्नेंस की संभावनाएं:

1. **कुशलता में वृद्धि**
   - **आधार-सक्षम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)** ने **PM-KISAN** और **MNREGA** जैसी योजनाओं में धन के रिसाव को कम किया, जिससे सब्सिडी सीधे लाभार्थियों तक पहुँचने लगी।
   - **कर्नाटक के भूमि प्रोजेक्ट** ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया, जिससे भूमि स्वामित्व सत्यापन में देरी और जटिलता में कमी आई।
2. **भ्रष्टाचार में कमी**
   - राज्यों जैसे **आंध्र प्रदेश** में **e-Tendering** प्लेटफार्मों ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता लाई।
   - **ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (CPGRAMS)** ने नागरिकों को सशक्त किया और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया।
3. **सुविधा और समावेशिता**
   - **UMANG** और **डिजिलॉकर** जैसे पोर्टल्स ने **100 से अधिक डिजिटल सेवाओं** की पेशकश की, जिससे नौकरशाही में कमी आई और सुविधाएँ बढ़ी।

कार्यान्वयन में चुनौतियां:

1. **डिजिटल विभाजन**: ग्रामीण क्षेत्रों में **खराब कनेक्टिविटी** और **डिजिटल साक्षरता की कमी** के कारण ई-सेवाओं तक पहुँच में बाधाएं आती हैं।
2. **साइबर सुरक्षा जोखिम**: **आधार** से संबंधित **डेटा उल्लंघनों** ने गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं उत्पन्न की हैं।
3. **क्षमता और ढांचे में खामियां**: प्रशिक्षित कर्मियों की कमी और **पुराने हार्डवेयर/सॉफ़्टवेयर** से सेवा गुणवत्ता प्रभावित होती है, खासकर **स्थानीय सरकारी स्तर** पर।
4. **विभिन्न प्रणालियां**: प्लेटफ़ॉर्म्स के बीच **अंतर-संचालनीयता (interoperability)** की कमी अक्सर दोहराव और अक्षम कार्यप्रणाली का कारण बनती है।

भारत में ई-गवर्नेंस ने कई क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाई है और भ्रष्टाचार में कमी की है, लेकिन इसके पूर्ण परिवर्तनकारी प्रभाव को हासिल करने के लिए समान्य पहुंच, मजबूत **डेटा सुरक्षा कानून**, और **क्षमता निर्माण** की आवश्यकता है।

प्रश्न 18 अमेरिका द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ (Reciprocal Tariffs) के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें। साथ ही, ऐसे उपाय सुझाएँ जिन्हें भारत ऐसे व्यापार प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए अपना सकता है।

उत्तर- अमेरिका द्वारा प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ, विशेषकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के तहत, भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों के बावजूद, देश के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2014–15 में 15.99% से घटकर 2023–24 में 15.83% हो गई है, जो ठहराव को दर्शाता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, ऐसे में यह टैरिफ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित कर सकते हैं।

पारस्परिक टैरिफ का भारतीय निर्यात पर प्रभाव:

1. **क्षेत्रवार प्रभाव:**
    - **स्टील और एल्यूमिनियम:** 25% टैरिफ के कारण भारतीय निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो गया है, जिससे ऑर्डर घटे हैं और रोजगार पर असर पड़ा है।
    - **फार्मास्युटिकल्स:** टैरिफ से लाभ में कमी आ सकती है और अमेरिकी कंपनियाँ चीन या मेक्सिको से स्रोत बदल सकती हैं।
    - **टेक्सटाइल और परिधान:** लागत बढ़ने से वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को बाजार खोने का खतरा है।
    - **इलेक्ट्रॉनिक्स:** टैरिफ से निवेश घट सकता है और स्मार्टफोन तथा सेमीकंडक्टर जैसे उत्पादों का निर्यात प्रभावित हो सकता है।
2. **आर्थिक परिणाम:**
    - **निर्यात राजस्व में कमी:** अमेरिकी बाजार तक पहुँच सीमित होने से व्यापार घाटा बढ़ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ सकता है।
    - **निवेश में मंदी:** व्यापारिक अनिश्चितता निर्यात-उन्मुख विनिर्माण में एफडीआई को हतोत्साहित कर सकती है।
    - **रोजगार पर प्रभाव:** तमिलनाडु और गुजरात में टेक्सटाइल, तेलंगाना में फार्मा, और नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में रोजगार संकट उत्पन्न हो सकता है।

आगे की राह:

- **बाजारों का विविधीकरण:** यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की प्रक्रिया को तेज करें तथा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों की संभावनाएं तलाशें।
- **घरेलू क्षमता को प्रोत्साहन:** 'आत्मनिर्भर भारत', अनुसंधान एवं विकास, और पीएलआई योजनाओं पर ज़ोर देकर लागत घटाई जाए और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाई जाए।

- **वित्तीय सहायता:** एमएसएमई को राहत देने हेतु रियायती ऋण, कर में छूट, और लक्षित प्रोत्साहन दिए जाएं।

हालांकि पारस्परिक टैरिफ भारत के लिए एक गंभीर चुनौती हैं, परंतु रणनीतिक विविधीकरण, नीतिगत समर्थन और विनिर्माण में सुधार के माध्यम से भारत इस संकट को दीर्घकालिक औद्योगिक विकास और वैश्विक एकीकरण के अवसर में बदल सकता है।

प्रश्न 19 बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत-बांग्लादेश संबंध अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गए हैं। इन उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा करें और उपाय सुझाएँ।

उत्तर- भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध हैं, जिन्हें "अच्छे पड़ोसी संबंधों का आदर्श" कहा जाता है।
हालाँकि, 2024 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन—जिसे कम मतदान, विपक्षी बहिष्कार और सत्तावादी प्रवृत्ति के आरोपों ने घेर रखा है—से द्विपक्षीय संबंधों में नई अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं।

उभरती हुई चुनौतियां:

1. **बांग्लादेश में लोकतांत्रिक गिरावट:** अवामी लीग के नेतृत्व वाली नई सरकार की वैधता पर उठते सवाल भारत की कूटनीतिक छवि को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर तब जब वैश्विक शक्तियाँ लोकतंत्र के क्षरण पर चिंता जता रही हैं।
2. **भारत विरोधी भावना:** वर्तमान सरकार के प्रति भारत के समर्थन की धारणा से बांग्लादेशी युवाओं और विपक्षी समर्थकों में भारत विरोधी भावनाएँ बढ़ रही हैं, जिससे जनस्तर पर भारत की छवि प्रभावित हो रहा है।
3. **चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव की स्थिति में बांग्लादेश आर्थिक और सैन्य सहयोग हेतु चीन की ओर अधिक झुक सकता है, जो बंगाल की खाड़ी में भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुँचा सकता है।
4. **सीमा और प्रवासन मुद्दे:** राजनीतिक अस्थिरता के चलते अवैध प्रवासन और सीमा तनाव की आशंका बढ़ सकती है, जो भारत की आंतरिक राजनीति में संवेदनशील मुद्दा बन सकता है।
5. **जल बंटवारा और तीस्ता गतिरोध:** राजनीतिक अनिश्चितता के चलते तीस्ता जल बँटवारे जैसी लम्बे समय से लंबित संधियाँ फिर टल सकती हैं, जिससे क्षेत्रीय असंतोष बढ़ेगा।

उपाय:

1. **सभी पक्षकारों से संतुलित संवाद:** भारत को केवल सत्तारूढ़ दल नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सभी लोकतांत्रिक शक्तियों से संवाद बनाए रखना चाहिए, जिससे संतुलित छवि बनी रहे।
2. **लोकतांत्रिक संस्थाओं को समर्थन:** भारत को शांत कूटनीति के माध्यम से मीडिया की स्वतंत्रता, कानून का राज और चुनावी सुधारों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. **क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** BBIN और BIMSTEC जैसे मंचों के तहत परियोजनाएं दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए तटस्थ मंच प्रदान कर सकती हैं।
4. **ट्रैक-2 कूटनीति और सांस्कृतिक संवाद:** अकादमिक, मीडिया और युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से जमीनी स्तर पर विश्वास बहाल किया जा सकता है।
5. **रणनीतिक संतुलन की पुनर्रचना:** भारत को अवामी लीग से संबंध बनाए रखते हुए अपनी नीति में लचीलापन रखना होगा ताकि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक बना रह सके।

इस अनिश्चित दौर में भारत को रणनीतिक संयम, कूटनीतिक चतुराई और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक स्थिर, लोकतांत्रिक और सहयोगी बांग्लादेश भारत की "एक्ट ईस्ट" नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 20. भारत के सामने आने वाली प्रमुख समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें और इसके समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का विश्लेषण करें।

उत्तर- भारत लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक स्थिति वाला देश है। इसकी 90% व्यापारिक मात्रा और 80% व्यापारिक मूल्य समुद्र के रास्ते होता है, जिससे समुद्री सुरक्षा उसकी आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत को पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों प्रकार की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे निपटने के लिए एक समग्र और सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है।

भारत द्वारा सामना की जा रही प्रमुख समुद्री सुरक्षा चुनौतियां:

1. **आतंकवाद और तटीय घुसपैठ:**
    - 2008 के मुंबई हमलों ने तटीय निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर किया।
    - छोटी मछली पकड़ने वाली नौकाएँ और असुरक्षित तटवर्ती क्षेत्र घुसपैठ और तस्करी के लिए खतरा बने हुए हैं।
2. **समुद्री डकैती:**

- अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के पास की घटनाएँ भारत के समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित करती हैं।
- हाल के वर्षों में सोमालिया के तट पर समुद्री डकैती की पुनरावृत्ति चिंता का विषय बनी हुई है।

3. **चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स):**
    - पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों में चीन के नौसैनिक अड्डे और निवेश भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती देते हैं।
    - भारतीय जलक्षेत्रों के निकट चीनी शोध और सर्वेक्षण पोत संभावित जासूसी गतिविधियों में संलग्न माने जाते हैं।
4. **गैरकानूनी, अनियंत्रित और अपंजीकृत (IUU) मत्स्यन:**
    - समुद्री संसाधनों का क्षय और भारतीय तटीय समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव।
    - कई विदेशी ट्रॉलर भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अवैध रूप से संचालित होते हैं।
5. **समुद्री सीमा विवाद:**
    - पाकिस्तान के साथ सर क्रीक क्षेत्र को लेकर विवाद और बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा रेखांकन(हालाँकि 2014 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता द्वारा हल हो चुकी हैं) की चुनौतियाँ।
6. **समुद्री प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरे:**
    - तेल रिसाव, जहाजों की दुर्घटनाएँ और प्लास्टिक कचरा समुद्री जैव विविधता और तटीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं।

भारत द्वारा समुद्री सुरक्षा ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय:

1. **संस्थागत तंत्र:**
    - *नेशनल मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (NMDA)* परियोजना – विभिन्न एजेंसियों से डेटा एकत्र कर रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करती है।
    - *इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर (IMAC)* – समुद्री निगरानी का मुख्य केंद्र।
2. **तटीय सुरक्षा में सुधार:**
    - *सागर सुरक्षा* और *कोस्टल सर्विलांस नेटवर्क* के तहत राडार स्टेशनों की स्थापना।
    - मछुआरों को सामुदायिक निगरानी कार्यक्रमों में शामिल कर संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टिंग।
    - *कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम* के अंतर्गत समुद्री पुलिस थानों की स्थापना।
3. **नौसेना का आधुनिकीकरण और उपस्थिति:**
    - *INS विक्रांत* (भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर) और *INS अरिहंत* (परमाणु पनडुब्बी) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से स्वदेशीकरण।
    - *Mission-Based Deployments* के अंतर्गत अदन की खाड़ी में जहाजों की स्थायी तैनाती।
4. **अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग:**
    - अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ *Quad नौसैनिक अभ्यास (Malabar)* में भागीदारी।

- *इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर – इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR)* गुरुग्राम से संचालित होता है, जो 50+ देशों के साथ व्हाइट शिपिंग डेटा साझा करता है।
- सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका के साथ समुद्री निगरानी और गश्त हेतु द्विपक्षीय समझौते।

5. **नीति ढाँचा और सिद्धांत:**
    - *SAGAR (Security and Growth for All in the Region)* सिद्धांत – क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और क्षमता निर्माण पर जोर देता है।
    - 2015 की *भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति* – बहुस्तरीय सुरक्षा और समुद्री शासन का खाका प्रस्तुत करती है।
6. **प्रौद्योगिकी आधारित पहल:**
    - *GSAT-7* और *ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS)* जैसी सैटेलाइट-आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग।
    - *सागरमाला परियोजना* के अंतर्गत बंदरगाह अवसंरचना का डिजिटलीकरण – निगरानी और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार।

भारत की समुद्री सुरक्षा इसकी आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आधार है। वर्ष 2008 के बाद संस्थागत और तकनीकी खामियों को दूर करने हेतु कई ठोस कदम उठाए गए हैं, लेकिन साइबर आक्रमण, ग्रे ज़ोन रणनीति और गहरे समुद्र में जासूसी जैसी नई चुनौतियाँ निरंतर सजगता की मांग करती हैं। स्वदेशीकरण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तटीय समुदायों की भागीदारी को मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण भारत के समुद्री भविष्य को सुरक्षित बना सकता है।